

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 183 / 2026

माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक-09/STET-17-02/2026 – 1239, दिनांक 11.08.2026 के द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर-I (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर-II (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 का आयोजन किया जाना है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

1. संरचना :

क. पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।

ख. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।

ग. निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

2. **परीक्षा के विषय** : माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर-I (माध्यमिक) के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर-II (उच्च माध्यमिक) के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी विषय जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	विषय /विषय समूह	शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक अर्हता
	पेपर-I (माध्यमिक)	
	विषय /विषय समूह	शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक अर्हता
	सामान्य विषय:-	विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।
	1. हिन्दी	101
	2. उर्दू	102
	3. बंगला	103
	4. मैथिली	104
	5. संस्कृत	105
	6. अरबी	106
	7. फारसी	107
1.	8. भोजपुरी	108
	9. अंग्रेजी	109
	10. गणित	110
	11. विज्ञान	111
	12. सामाजिक विज्ञान	112
	अथवा	
	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में बी०ए०एड०/बी० एससी० एड० की चार वर्षीय उपाधि।	
	एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि।	
	अथवा	
	एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि तथा एग्रीकल्चर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथ्लेटिक्स में सहभागिता।	
	अथवा	
	45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर-विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेलों प्रतियोगिताओं अथवा ऐथ्लेटिक्स में सहभागिता।	
	अथवा	
	प्रतिनियुक्त सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक/कोच)– 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।	
2.	शारीरिक शिक्षा	113
	अथवा	
	एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक।	
	अथवा	
	ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों में स्कूल, अन्तर कॉलेजिएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार एन०सी०सी० (सी' प्रमाण पत्र) पास किया हो।	
	अथवा	
	शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात् बी०पी०एड० पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)	
	अथवा	
	ऐसा स्नातक, जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथ्लेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।	
	अथवा	
	ऐसा स्नातक, जिसने अन्तर-कॉलेजिएट खेलकूद/खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्त किया हो/ एन०सी०सी० (सी' प्रमाण पत्र) का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।	
	अथवा	
	13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के अनुसार खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबंध, खेलकूद कौशल, योग, ओलंपिक शिक्षा, खेलकूद पर्यकारिता आदि में एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक।	
	तथा	
	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी०पी०एड०) अथवा इसके समतुल्य।	
3.	संगीत विषय	114
	अथवा	
	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक-उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।	
	अथवा	
	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक-उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।	
4.	ललित कला विषय	115
	अथवा	
	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।	
5.	नृत्य विषय	116
	अथवा	
	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।	

विशेष विद्यालय अध्यापक (क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक-उपाधि	एवं
(ख) भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी०आर०आर० नं० धारित हो	या
बी०एड० के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बी०एड० के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् के वैध सी०आर०आर० नं० धारित हो।	एवं
(ग) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। परन्तु:- भारतीय पुनर्वास परिषद् के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जायेगा कि संक्षिप्त उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणचर्या के निर्धारण की स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्या प्रारंभ होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणचर्या को पूर्ण करने हेतु तथा आश्रयक (अधिकतम 06 माह तक) सवैधानिक अवकाश मान्य होगा।	नोट:- अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय (विषय कोड) का चयन कर सकते हैं।

(ii) विषय समूह :-

(क) गणित :- स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साइंस/रसायन विज्ञान/सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस में बी०सी०ए० की योग्यता को सम्मिलित माना जायेगा।

(ख) विज्ञान :- स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणी विज्ञान), वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा Biotechnology/ Microbiology को भी समाहित किया जाता है।

(ग) सामाजिक विज्ञान :- स्नातक स्तर पर सहायक विषय/प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जायेगा।

(घ) भाषा से संबंधित विषय :- माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (ऑनर्स)/अनुषांगिक (सस्सीडियरी) विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण :

(i) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विषय के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) पेपर-I के तहत संगीत, नृत्य एवं ललित कला विषय के लिए अलग-अलग परीक्षा ली जाएगी।

(iii) शारीरिक शिक्षा के लिए केवल पेपर-I के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अर्हता का निर्धारण परिशिष्ट-I की कंडिका-2 में किया गया है।

परिशिष्ट-2		
पेपर-II (उच्च माध्यमिक)		
क्र० सं०	विषय /विषय समूह	शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक अर्हता
	सामान्य विषय:-	विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।
	1. हिन्दी	201
	2. उर्दू	202
	3. अंग्रेजी	203
	4. संस्कृत	204
	5. बांग्ला	205
	6. मैथिली	206
	7. मगही	207
	8. अरबी	208
	9. फारसी	209
	10. भोजपुरी	210
	11. पाली	211
1.	12. प्राकृत	212
	13. गणित	213
	14. भौतिक विज्ञान	214
	15. रसायन शास्त्र	215
	16. जन्तु विज्ञान	216
	17. इतिहास	217
	18. भूगोल	218
	19. राजनीति शास्त्र	219
	20. समाज शास्त्र	220
	21. अर्थशास्त्र	221
	22. दर्शनशास्त्र	222
	23. मनोविज्ञान	223
	24. गृहविज्ञान	224
	25. वनस्पति विज्ञान	229

2.	वाणिज्य	225
	अथवा	
	वाणिज्य विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीनों विषयों यथा, EPS (द्व्यगिता), Accountancy (लेखा शास्त्र) एवं Business Study (बिजनेस स्टडी) के लिए आवेदन कर सकेंगे।	
	तथा	
	सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता।	
	अथवा	
	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त उपाधि। डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।	
	अथवा	
	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०ई० (कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०) या बी०टेक० (कम्प्यूटर साइंस/आई०टी०) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिग्री।	
	अथवा	
	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी०ई० या बी०टेक० की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।	
	अथवा	
	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर/एम०सी०ए० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।	
	अथवा	
	"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक/बी०सी०ए० या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर"	
	अथवा	
	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि	
	अथवा	
	डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।	
3.	कम्प्यूटर साइंस	226
	अथवा	
	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/उद्यान में स्नातक तथा Agronomy/Plant Pathology/Seed Science & Technology/ Soil Science/ Horticulture में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्हक योग्यता धारित करना आवश्यक होगा।	
	नोट:- मान्यता प्राप्त संस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।	
4.	कृषि	227
	अथवा	
	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता।	
	नोट:- मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।	
5.	संगीत	228
	अथवा	
	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता।	
	नोट:- मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।	

विषय समूह:-	
Subject	Subjects at Post Graduate level
Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics
Chemistry	Chemistry/Biochemistry
Economics	Economics/Applied Economics/Business Economics
Commerce	Master's Degree in commerce. However, holder of Degree of M.com in Applied/Business Economics shall not be eligible.
Botany/ Zoology	Botany/Zoology/Life Science/Bio Science/Genetics/ Micro Biology/Biotechnology/Molecular Biology/ Plant Physiology.
Maths	Mathematics/Applied Mathematics

स्पष्टीकरण:-

(i) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विषय के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) राज्य के विद्यालयों में Multi Media & Web Technology विषय की पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए पेपर-II के तहत Multi Media & Web Technology की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) वाणिज्य संकाय के लिए पेपर-II के अन्तर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी।

3. **पाठ्यक्रम : पेपर-I** (माध्यमिक) के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा **पेपर-II** (उच्च माध्यमिक) के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक (प्रतिष्ठा) स्तरीय पाठ्यक्रम।

4. **प्रश्नपत्र पैटर्न** :- माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला, अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे :-

निर्दिष्ट विषय वस्तु	—	100
शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता	—	50
कुल अंक	—	150

5. अर्हता :

(क) अधिकतम भारत का नागरिक हो।

(ख) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता/ अर्हताधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं।

(ग) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 के प्राधान्यों के तहत निर्गत विभिन्न विभागीय अधिसूचनाओं यथा (i) अधि० सं-916 दिनांक 19.05.2023, (ii) अधि० सं०-934 दिनांक 25.05.2023, (iii) अधि० सं०-956 दिनांक 29.05.2023, (iv) अधि० सं०-957 दिनांक 29.05.2023, (v) अधि० सं०-964 दिनांक 29.05.2023, (vi) अधि० सं०-965 दिनांक 29.05.2023, (vii) अधि० सं०-969 दिनांक 30.05.2023, (viii) अधि० सं०-1010 दिनांक 08.06.2023 एवं (ix) अधि० सं०-1154 दिनांक 21.06.2023 एवं (x) अधि० सं०-1215 दिनांक 27.06.2023 के अनुसार पेपर-I (माध्यमिक) एवं पेपर-II (उच्च माध्यमिक) अन्तर्गत निर्धारित विषय/विषय समूह के लिए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता परिशिष्ट-2 के अनुरूप होगी।

(घ) **माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जजाजति/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी, जो बिहार के मूल निवासी होंगे, को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हताओं में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।**

6. **उम्र सीमा एवं छूट:-** विभागीय पत्रांक-09/STET-17-02/2026-1239, दिनांक 11.08.2026 के अनुसार उम्र सीमा एवं इसमें छूट से संबंधित प्रावधान निम्नवत् है:-

(क) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा दिनांक 01.08.2026 को 21 (इक्कीस) वर्ष की होगी। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विहित की जाय।

(ख) कोटिवार उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी :-

क्र० सं०	कोटि	दिनांक 01.08.2026 को अधिकतम आयु सीमा
1.	अनारक्षित (पुरुष)	37 वर्ष
2.	अनारक्षित (महिला)	40 वर्ष
3.	पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)	40 वर्ष
4.	अति पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला)	40 वर्ष
5.	अनु०जाति (पुरुष/महिला)	42 वर्ष
6.	अनु०जनजाति (पुरुष/महिला)	42 वर्ष

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-962 दिनांक 22.01.2021 में किये गये प्राधान्यानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(घ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-5374 दिनांक 02.04.2013 में किये गये प्राधान्यानुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ङ) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2023, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। उक्त स्थिति में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 में किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट देय नहीं होगी।

7. **उत्तीर्णांक :-** विभागीय पत्रांक-09/STET-17-02/2026-1239, दिनांक 11.08.2026 के अनुसार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2026 हेतु निर्धारित कोटिवार उत्तीर्णांक निम्नवत् होगा

क्र०सं०	कोटि	उत्तीर्णांक
1.	सामान्य	50% अंक
2.	पिछड़ा वर्ग	45.5% अंक
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	42.5% अंक
4.	अनु०जाति/अनु०जनजाति	40% अंक
5.	दिव्यांग	40% अंक
6.	महिला	40% अंक

नोट:-बिहार राज्य द्वारा स्थापित आरक्षण नीति के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक 11.06.1996 द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण को सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात्, जो बिहार के मूल निवासी हैं।

राज्य की उक्त आरक्षण नीति बिहार अधिनियम, 15/2003 द्वारा दिनांक 11.06.1996 के प्रभाव से निम्नरूपेण प्रावधानित किया गया है :-

"परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दाय्य नहीं करेंगे।"

8. परीक्षा शुल्क :-

क्र० सं०	श्रेणी	परीक्षा शुल्क की निर्धारित राशि
	पेपर-I अथवा पेपर-II (एक पेपर के लिए)	पेपर-I एवं पेपर-II (दोनों पेपर के लिए)
	सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग	960 /—रु० 1,440 /— रु०
	अनुसूचित जाति/ अनु० जनजाति/दिव्यांग	760 /—रु० 1,140 /— रु०

9. **कंडिका 6, 7 एवं 8 में दी जाने वाली छूट यथा- अधिकतम आयु सीमा, न्यूनतम उत्तीर्णांक एवं परीक्षा शुल्क में छूट केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए ही देय है।** बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की छूट देय नहीं है। तदनुसार बिहार राज्य के बाहर के सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों की छूट संबंधी गणना सामान्य